न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

(पीठासीन अधिकारी श्री गुंजन सोनी आर0ए0एस)

अपील प्रकरण सं0 22/2018

1. सन्तोष पत्नी कुलदीप जाति जाट साकिन खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. पुनीतकुमार पुत्र कुलदीप नाबालिग जरिये बली कुदरती माता सन्तोष पत्नी कुलदीप जाति जाट साकिन खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांटस

बनाम्

1. सन्ती पत्नी बुधराम जाति जाट साकिन खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (राजस्व) भादरा
निर्णय दिनांक 22.05.2018 इंतकाल संख्या 509 व 643

उपस्थितः— श्री हवासिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांकः— 22.03.2021**

अपीलाण्ट ने तहसीलदार (राजस्व) भादरा के निर्णय दिनांक 22.05.2018 के विरूद्ध अपील पेश की है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है—

1. अपील कृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।
2. चक न. 3 डी.पी.एन. तहसील भादरा के इंतकाल संख्या 206 एवं चक नं. 4 डी. पी.एन. भादरा के इन्तकाल संख्या 185 दिनांक 12.12.2001 को कुलदीप पुत्र बुधराम के फोत होने पर विरासतन इन्तकाल उनकी पत्नी व पुत्र अपीलान्टस के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

इन्तकाल संख्या 185 दिनांक 12—12—2001 का कुलदीप पुत्र बुधराम क

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पक्ष में तस्दीक किया गया था जिसके विरूद्ध कुलदीप पुत्र बुधराम की माता ने उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा की अदालत मे अपील पेश की जिस पर उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा ने बिना क्षेत्राधिकार के निर्णय पारित कर दिनांक 21.06.2003 को इन्तकाल निरस्त कर दिये जिसके विरूद्ध अपीलान्टस ने संभागीय आयुक्त बीकानेर की अदालत में अपील पेश की जो दिनांक 22.12.2008 के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी पेश की जो दिनांक 02.05.2018 को खारीज कर दी गई जिसके विरूद्ध अपीलान्टस ने दिनांक 16.05.2018 को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पेश की जिसमें दिनांक 23.05.2018 को मौके की यथास्थिति व विवादित भूमि को खुर्द बूर्द नहीं करने बाबत स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने प्रकरण अदालत में जैरकार होने के बावजूद भी बिना कोई सुचना के बिना किसी अदालत के आदेश साजिसाना तरीके से जल्दबाजी में इन्तकाल दर्ज व तस्दीक किया है जो विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्त योग्य है।

3. मातहत अदालत ने निर्णय पारीत करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवायी का कोई अवसर नही दिया ना ही कोई नोटिस जारी किया है, कानूनन प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नही किया गया है जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

4. चक न. 3 डी.पी.एन. तहसील भादरा के इंतकाल संख्या 206 एवं चक नं. 4 डी. पी.एन. भादरा के इन्तकाल संख्या 185 दिनांक 12.12.2001 उपखण्डाधिकारी(राजस्व) भादरा के निर्णय दिनांक 21.06.2003 के द्वारा निरस्त किये गये है कानूनी स्थिति के मुताबिक उपखण्डाधिकारी राजस्व भादरा को दोनो पक्षों को सुनवायी का अवसर देकर निर्णय की पालना में आदेश जारी होने पर ही मातहत अदालत को इन्तकाल दुरूस्त करने का अधिकार है उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो खारीज योग्य है।

5. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नही है व निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय की परिभाषा में नही अता है इसलिए निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब कर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 12.12.2001 को कुलदीप पुत्र बुधराम का विरासत इन्तकाल पत्नी व पुत्र के नाम दर्ज हो गया। इसकी अपील उपखण्डाधिकारी भादरा के वहां की वहां उपखण्डाधिकारी भादरा द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के हमारा इंतकाल निरस्त कर दिया और विधि विरूद्ध आदेश जारी कर दिया इसके विरूद्ध संभागीय आयुक्त मे अपील की खारीज हो गयी। माननीय राजस्व मण्डल मे गये हमारी रिविजन दिनांक 02.05.2018 को खारीज कर दी। फिर हम माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत की वहां दिनांक 23.05.2018 को स्थगन प्राप्त हो गया इससे पूर्व दिनांक 22.05.2018 को इंतकाल तस्दीक हो गया उसमें हमे सुना नही गया अतः यह विधि विरूद्ध इंतकाल निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 509 व 643 इनसे पूर्व कुलदीप की विरासत में इंतकाल में माता को छोड़ दिया गया था जबकि हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 में प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी होने से हक पाने का अधिकार था। हमने उपखण्डाधिकारी कोर्ट में नामान्तरकण की अपील की जिसे ग्राम पंचायत ने इन्तकाल संख्या 185,206 व 207 को तस्दीक किया था जो दिनांक 21.06.2003 को डिक्री हो गया। दिनांक 12.12.2008 को ये संभागीय आयुक्त के वहां अपील में गये जहां अपील खारीज हो गयी फिर राजस्व मण्डल अजमेर में भी इनकी अपील खारीज हो गयी। तीनों निर्णय इनके विरूद्ध हुए है। इनको स्थगना दिनांक 23.05.2018 को मिला हमारा म्यूटेशन दिनांक 22.05.2018 को निर्णित हो गया उस दिन स्थगन आदेश नहीं था। जब इनका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इन्होने स्थगन प्राप्त किया हुआ है तब यहा अपील पेश कर सकते है। अब तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही निर्धारित होगा यथास्थिति का स्थगन इन पर भी लागू होगा। हमारे ये नामान्तरकरण माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में हुए है। यह अपील नामान्तरकरण संख्या 509 व 643 की है एक साथ अपील पेश की है जबकि दो अपीले अलग–अलग पेश करनी चाहिए। RPT 2013 पेज न 659 सेक्शन 135 का दृष्टांत पेश कर बताया की दो नामान्तरकण हेतू एक अपील पेश नहीं कर सकते

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है। RPT 2007 पेज नम्बर 1545 माता प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी है। अतः इनकी अपील खारीज फरमावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुंजन सोनी आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official